भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1096**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया की ‘लॉबी’ करने संबंधी गतिविधियां**

**1096. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार ने देश में लॉबी करने को मान्यता नहीं दी है;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
3. क्या यह सच है कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) कुछ जी.एस.एम. टेलीकॉम ऑपरेटरों की ओर से विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में लॉबी कर रहा है; और
4. यदि हां, तो जैसा कि विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटरों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में बताया है उनके द्वारा सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया को निधियन का स्रोत क्या है;
5. क्या इतना भारी निधियन किया जाना कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है; और
6. यदि हां, तो लॉबी करने के संबंध में सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया और टेलीकॉम ऑपरेटरों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) और (ख):** जी, नहीं।

**(ग) से (च):** यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 का विनियमन करता है और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (सीओएआई) एक सोसायटी है, जिसका विनियमन इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

\*\*\*\*\*